

भाग-॥

(संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

| | | |
|-------|--|---|
| सं.क. | परियोजना/स्कीम का स्थान | राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343 अम्बिकापुर - रामानुजगंज रोड का चौड़करण पंजीयन क्रमांक FP/CG/ROAD/147299/2021 |
| 1 | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | छत्तीसगढ़ |
| 2 | जिला | बलरामपुर |
| 3 | वन प्रभाग | बलरामपुर वनमंडल, बलरामपुर |
| 4 | वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि क्षेत्र(हे.मे.) | संरक्षित वन 80.182 हे. आरक्षित वन 6.376 हे. राजस्व वनभूमि 5.897 हे कुल 92.455 हे. |
| 5 | वन की कानूनी स्थिति | संरक्षित वन |
| 6 | हजियाली का धनत्व | 0.4/0.5 |
| 7 | प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संलग्न में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.2 मी. परिगणना एवं एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किया जाये। | प्रभावित भूमि में 1.4661 नग वृक्ष मौजूद है। |
| 8 | भूक्षरण के लिये क्षेत्र की संवेदनशीलता पर टिप्पणी | -- |
| 9 | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | 0 कि.मी. |
| 10 | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डकल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये) | नहीं। |
| 11 | क्या क्षेत्र में वनस्पति व प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा दे। | नहीं। |

| | | |
|------|---|--|
| 12 | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्रधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो तो दे। | नहीं। |
| (8) | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। | वन भूमि की मांग न्यूनतम है। |
| (9) | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हां तो कार्य कर अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे। क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं। | पेज न.में संलग्न है। |
| (10) | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा | |
| | 1. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वनक्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार | प्रावधानित नहीं है |
| | 2. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वनक्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। | निरंक |
| | 3. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। | निरंक |
| | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। | निरंक |
| | 4. प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्रधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए) | निरंक |
| 11 | जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता उपर्युक्त कालम 7 (11,12) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) | संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। |
| 12 | विभाग/जिला प्रोफाईल | |
| | 1 वनमण्डल का भौगोलिक क्षेत्रफल | 7139.200 वर्ग कि.मी. |
| | 2 वनमण्डल का वनक्षेत्र | 3051.959 वर्ग कि.मी |
| | 3 मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र | हे. 1684.238 प्रकरणों की संख्या -20 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण | 3536.257 हे. |
| क | दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि | निरंक |
| ख | वनेतर भूमि पर | निरंक |
| 5 | तह प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति | - |
| क | वनभूमि पर | - |
| ख | वनेतर भूमि पर | - |
| 3 | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश | आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र न्यूनतम है एवं अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः प्रकरण में निर्धारित शर्तों के तहत वन भूमि प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। |

(विवेकानन्द झा)

“भा.व.से”

वनमण्डलाधिकारी

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर